2025:CGHC:21629

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2411/2025

1– भुनेश्वरी देशमुख पति सुखनंदन आयु लगभग 30 वर्ष निवासी ग्राम– समोदा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.)

...याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1–छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

2– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निर्वाचन अधिकरण, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

3– रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत (जनपद पंचायत, दुर्ग), ग्राम समोदा, जिला पंचायत, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

4– अरुण गौतम पिता स्व. मिलन राम गौतम निवासी ग्राम– समोदा, पोस्ट– करंजा, भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.)

5– भुनेश्वरी पति नीरज निषाद निवासी ग्राम– समोदा, पोस्ट– करंजा, भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.)

6– संजय देशमुख पिता टीकम राम देशमुख निवासी ग्राम– समोदा, पोस्ट– करंजा, भिलाई, तहसील और जिला–दुर्ग (छ.ग.)

...उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद–शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री गौतम खेत्रपाल , अधिवक्ता
उत्तरवादीगण की ओर से	:	श्री सतीश गुप्ता, शासकीय अधिवक्ता

एकलपीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

बोर्ड पर आदेश

09/05/2025

1. यह रिट याचिका छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 122 के अंतर्गत राजस्व प्रकरण क्रमांक 202503100400249 में दिनांक 15.04.2025 को पारित आक्षेपित आदेश

(अनुलग्नक पी/1) के विरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है, जिसके अन्तर्गत विद्वान प्राधिकारी (उत्तरवादी क्रमांक 2) ने विवाद्यक निर्धारित किए बिना या पक्षकारों के साक्ष्य अभिलिखित किए बिना निर्वाचन याचिका को संक्षिप्त प्रक्रिया से खारिज कर दिया है। यह खारिजगी केवल इस आधार पर की गई है कि निर्वाचन याचिका उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि, अर्थात दिनांक 04.02.2025 के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई थी। उक्त संक्षिप्त प्रक्रिया से खारिजी से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए इस माननीय न्यायालय का शरण लिया है:–

> "10.1 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी क्रमांक 2 से प्रकरण का अभिलेख मंगाने की कृपा करे।
>
> 10.2 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया एक उपयुक्त रिट जारी करने की कृपा करे, जिससे आक्षेपित आदेश दिनांक 15.04.2025 (अनुलग्नक P/1) को अपास्त/अभिखण्डित किया जा सके।
>
> 10.3 यह कि, माननीय न्यायालय कृपया राजस्व प्रकरण क्रमांक 202503100400249/ धारा–122 निर्वाचन याचिका /2024–25 छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम,1993 को उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष प्रतिप्रेषित करने की कृपा करे ताकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन याचिका पर छत्तीसगढ़ पंचायत (निर्वाचन याचिकाएँ, भ्रष्टाचार और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार, विवाद्यकों को निर्धारित कर और पक्षकारों के साक्ष्य अभिलिखित कर, गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सके।
>
> 10.4 इस प्रकरण के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त कोई अन्य अनुतोष भी याचिकाकर्ता को प्रदान करने की कृपा करें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में, प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता भारत का नागरिक है, और इस प्रकार, उसे भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिनमें निर्वाचन लड़ने और उनमें भाग लेने का अधिकार, और उनसे उद्भूत किसी भी शिकायत का निवारण करने का अधिकार भी सम्मिलित है। दिनांक 13.03.2025 को, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष एक निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की, जिसमें ग्राम पंचायत, समोदा के सरपंच पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 4 से 6 के साथ, उक्त निर्वाचन लड़ने के लिए अपने–अपने नामांकन पत्र जमा किए थे। निर्वाचन अधिसूचना के अनुसार, नामांकन पत्रों की जांच दिनांक 04.02.2025 को तय की थी। उत्तरवादी क्रमांक 4 ने अपने नामांकन पत्रों के साथ एक झूठा शपथपत्र

प्रस्तुत किया था, और जानबूझकर विभिन्न न्यायालयों में अपने विरुद्ध लंबित दाण्डिक प्रकरणों को छुपाया था। इस संबंध में, याचिकाकर्ता के पति ने उत्तरवादी क्रमांक 3 के समक्ष एक आपत्ति दर्ज की, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 4 के नामांकन पत्र को अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया। आपत्ति के साथ, याचिकाकर्ता के पति ने उत्तरवादी क्रमांक 4 के दाण्डिक इतिहास के पुर्ववृत्त सहित सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। यद्यपि, उत्तरवादी क्रमांक 3 ने आपत्ति और सहायक सामग्रियों पर विधिवत विचार किए बिना, दिनांक 04.02.2025 को आपत्ति अस्वीकार करने का आदेश पारित कर दिया। ग्राम पंचायत, समोदा के सरपंच पद के लिए निर्वाचन दिनांक 17.02.2025 को आयोजित किया गया और परिणाम दिनांक 18.02.2025 को घोषित किया गया, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 4 को ग्राम पंचायत, समोदा का सरपंच निर्वाचित घोषित किया गया। निर्वाचन दिनांक 17.02.2025 को आयोजित किया गया और परिणाम दिनांक 18.02.2025 को घोषित किया गया था। उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा झूठा शपथपत्र प्रस्तुत करने के कारण निर्वाचन दूषित शून्य व अकृत थी। इसके आलोक में, याचिकाकर्ता ने एक निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 4 के निर्वाचन को शून्य व अकृत घोषित करने की मांग की गई थी, और साथ ही याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत, समोदा का विधिवत निर्वाचित सरपंच घोषित करने की प्रार्थना की गई। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने दिनांक 15.04.2025 को बिना कोई विवाद्यक निर्धारित किए या संबंधित पक्षकारों के साक्ष्य अभिलिखित किए, आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश में, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने निर्वाचन याचिका को इस आधार पर संक्षिप्त प्रक्रिया से खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता 30 दिवस के निर्धारित परिसीमा के भीतर निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने में असफल रहा, जो उत्तरवादी क्रमांक 2 के अनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज करने की तिथि अर्थात 04.02.2025 से प्रारंभ हुई थी। ग्राम पंचायत, समोदा के सरपंच पद के लिए निर्वाचन 17.02.2025 को आयोजित हुआ था और दिनांक 18.02.2025 को परिणाम घोषित किया गया था। फलस्वरूप, याचिकाकर्ता ने दिनांक 13.03.2025 को निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिवस के भीतर थी, और इस प्रकार, निर्धारित परिसीमा के भीतर थी। यद्यपि, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने, आक्षेपित आदेश में, त्रुटिवश आपत्ति की अस्वीकृति की तिथि (अर्थात, 04.02.2025) को परिसीमा की गणना के लिए प्रारंभिक बिंदु मान लिया है, जो विधि के अनुरूप नहीं है। परिसीमा का यह अनुचित प्रयोग विधि की स्पष्ट त्रुटि है और याचिकाकर्ता के साथ घोर अन्याय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान रिट याचिका उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित दिनांक 15.04.2025 (अनुलग्नक P/1) के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन याचिका परिसीमा के आधार पर त्रुटिवश खारिज कर दी गई थी। उक्त आदेश विकृत, विधि के विपरीत है और अपास्त किए जाने योग्य है। ग्राम पंचायत, समोदा के सरपंच पद के लिए निर्वाचन दिनांक 17.02.2025 को आयोजित हुआ था और

उसका परिणाम दिनांक 18.02.2025 को घोषित किया गया था। याचिकाकर्ता ने उक्त निर्वाचन के संचालन और परिणाम से व्यथित होकर, संबंधित नियमों के तहत निर्धारित तीस (30) दिवस की वैधानिक अवधि के भीतर, दिनांक 13.03.2025 को एक निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की। इस प्रकार, उक्त याचिका प्रस्तुत करने में विलम्ब या परिसीमा का कोई प्रश्न ही नहीं है। यद्यपि, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने उक्त निर्वाचन याचिका को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया है कि परिसीमा की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख (अर्थात, 18.02.2025) से नहीं, बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई किसी पूर्व आपत्ति की अस्वीकृति की तारीख से की जानी चाहिए। यह दृष्टिकोण विधि द्वारा अनुमोदित नहीं है। यह सुस्थापित विधि है कि किसी निर्वाचन याचिका के लिए परिसीमा परिणाम की घोषणा की तारीख से प्रारंभ होती है, न कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पारित किसी भी पूर्व स्तर या आदेश से। यह मानते हुए भी (बिना स्वीकार किए) कि परिसीमा के प्रारंभिक बिंदु के संबंध में कुछ अस्पष्टता थी, निर्वाचन प्रकरणों में परिसीमा का प्रश्न विधि और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है, और इसे प्रारंभिक स्तर में संक्षिप्त प्रक्रिया से खारिज नहीं किया जा सकता। आक्षेपित आदेश, जिसने विवाद्यक निर्धारित किए बिना और बिना साक्ष्य अभिलिखित किए याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज कर दिया, इस प्रकार स्पष्ट रूप से असंधारणीय है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने **माखन लाल बंगाल विरुद्ध मानस भुनिया व अन्य** (2001) 2 एससीसी 652 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया। वर्तमान प्रकरण पूर्णतः इस निर्णय की परिधि में आता है, और उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने के कारण, आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में असंधारणीय हो जाता है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ पंचायत (निर्वाचन याचिकाएँ, भ्रष्टाचार और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995, जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 95(1) सहपठित धारा 122(1) और (3) के अंतर्गत बनाए गए हैं, निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं। ये प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय केवल औपचारिकताएँ नहीं हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि न्याय निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। याचिका को परिसीमा पर खारिज करके इस प्रक्रिया को दरकिनार करना इन नियमों के अक्षरशः और मूल भावना दोनों का उल्लंघन करता है। निर्वाचन के संचालन, जिसमें अनियमितता या अवैधता के आरोप सम्मिलित हैं, को संक्षिप्त रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, और निश्चित रूप से याचिकाकर्ता को साक्ष्य के माध्यम से अपना प्रकरण साबित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जा सकता है। परिसीमा नियमों की विधिक रूप से असमर्थनीय व्याख्या के आधार पर याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करना न्याय से इनकार करने के समान है। अतः, यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित 15.04.2025 (अनुलग्नक P/1) के आक्षेपित आदेश को रद्द और अपास्त करने की कृपा करे, और उत्तरवादी क्रमांक 2 को निर्देशित करें कि वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन याचिका पर विधि और प्रक्रिया के अनुसार गुण–दोष के आधार पर सुनवाई और निर्णय करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि निर्वाचन याचिका को खारिज करना मुख्यतः इस आधार पर था कि निर्वाचन याचिका उत्तरवादी क्रमांक 3 के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति अस्वीकृति की तिथि से 30 दिवस के निर्धारित परिसीमा अर्थात, दिनांक 04.02.2025 के बाद प्रस्तुत की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि निर्वाचन याचिका निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि (अर्थात, 18.02.2025) से 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत की गई थी, यद्यपि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क इस मूलभूत विवाद्यक को संबोधित करने में असफल रहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति की अस्वीकृति दिनांक 04.02.2025 को निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की परिसीमा की गणना के लिए उचित प्रारंभिक बिंदु है, जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित है। विद्वान प्राधिकारी, उत्तरवादी क्र. 2 ने आपत्ति के अस्वीकार होने को परिसीमा के लिए प्रारंभ के रूप में सही माना, क्योंकि यह निर्वाचन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता के मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाला अंतिम आदेश था। अतः दिनांक 13.03.2025 को निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करना स्पष्ट रूप से वैधानिक परिसीमा से परे है, और इस आधार पर याचिका को खारिज करने के लिए उत्तरवादी क्रमांक 2 को कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने **माखन लाल बंगाल (पूर्वोक्त)** प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय का त्रुटिपूर्ण अवलंब लिया है, जो एक चुनावी वाद में विवाद्यकों के निर्धारण और साक्ष्यों की लेखबद्ध करने से संबंधित है। यद्यपि, यह निर्णय वर्तमान प्रकरण के लिए असुसंगत है। वर्तमान विवाद्यक सुनवाई प्रक्रिया या साक्ष्य अभिलिखित करने का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 122 के तहत निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की परिसीमा की उचित गणना का है। उपरोक्त निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क इस सुस्थापित सिद्धांत को परिवर्तित नहीं करता है कि निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की परिसीमा उस तिथि से प्रारंभ होती है जब याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति का निपटान हो जाता है। याचिकाकर्ता का यह तर्क देना कि परिसीमा की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जानी चाहिए, विधि की अनुचित व्याख्या है। छत्तीसगढ़ पंचायत (निर्वाचन याचिकाएँ, भ्रष्टाचार और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995, जिसका याचिकाकर्ता अवलंब लेते है, निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसमें ऐसी याचिकाएँ प्रस्तुत करने की परिसीमाएँ भी सम्मिलित हैं। नियमों का नियम 11(1) स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि प्रत्येक निर्वाचन याचिका की जाँच निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी, और ऐसी जाँच की प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुरूप होनी चाहिए। यद्यपि, यहाँ विवाद्यक यह नहीं है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या निर्वाचन याचिका विहित समय के भीतर प्रस्तुत की गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को दिनांक 04.02.2025 को खारिज करना निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली अंतिम प्रक्रियात्मक कार्रवाई थी, और इसलिए, परिसीमा उसी तिथि से प्रारंभ हुई। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि निर्वाचन याचिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को प्रारंभिक स्तर में, बिना विवाद्यक निर्धारित किए या साक्ष्य अभिलिखित किए, खारिज करना त्रुटिपूर्ण है, अनुचित भी है। प्राधिकारी, उत्तरवादी क्र. 2 ने प्रारंभिक स्तर में याचिका को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की, क्योंकि परिसीमा का प्रश्न विशुद्ध रूप से विधि का प्रश्न है और इसके लिए विवाद्यकों को निर्धारित करने या साक्ष्य अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन याचिका स्पष्ट रूप से परिसीमा के बाद प्रस्तुत की गई थी, और इस प्रकार, उत्तरवादी क्र. 2 इस आधार पर याचिका को खारिज करने की अधिकारिता में था। यह भी तर्क है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन याचिका न केवल समय बाधित थी बल्कि सारहीन भी थी क्योंकि याचिकाकर्ता निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितताओं के अपने दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा प्रस्तुत झूठे शपथपत्र के संबंध में आपत्ति को उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा खारिज कर दिया गया था, और आगे कोई कार्रवाई करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं दर्शाया गया है। केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता आपत्ति की अस्वीकृति से सहमत नहीं था, वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने का कोई वैध कारण प्रदान नहीं करता है। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा परिसीमा के अनुचित प्रयोग के संबंध में उठाए गए तर्क निराधार हैं। प्राधिकारी ने विधि का उचित तौर से अनुपालन किया है और परिसीमा के आधार पर निर्वाचन याचिका को खारिज करना पूर्णतः छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम और उससे संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुरूप है। उपरोक्त के आलोक में, यह सविनय प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय वर्तमान रिट याचिका को निराधार और विधि की अनुचित व्याख्या पर आधारित मानते हुए खारिज करने की कृपा करे और उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित 15.04.2025 के आक्षेपित आदेश को यथावत रखे, जिसमें परिसीमा के आधार पर निर्वाचन याचिका को उचित तौर से खारिज किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और रिट याचिका सहित संलग्न अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विवाद्यक यह है कि क्या छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 122 के अंतर्गत निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की समय–परिसीमा, उत्तरवादी क्र. 2 के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति के खारिज होने की तिथि (04.02.2025) से प्रारंभ होती है, या निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि (18.02.2025) से। दूसरा विवाद्यक यह है कि क्या निर्वाचन याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही बिना विवाद्यक निर्धारित किए और साक्ष्य अभिलिखित किए संक्षिप्त प्रक्रिया से खारिज किया जा सकता है।

7. छत्तीसगढ़ पंचायत (निर्वाचन याचिकाएँ, भ्रष्टाचार एवं सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 122 की उप–धारा (1) और (3) के साथ धारा

95(1) के अंतर्गत बनाए गए हैं, जो निर्वाचन याचिकाओं में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। विशेष रूप से, नियम 11 और नियम 12 सुसंगत हैं, जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> **नियम 11. विनिर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष प्रक्रिया तथा शक्तियां –**(1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए , प्रत्येक निर्वाचन अर्जी की जांच विनिर्दिष्ट अधिकरी द्वारा, यथाशक्य निकटतम उस प्रक्रिया के अनुसार, की जाएगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता ,1908 के अधीन वादों के विचारण को लागू हैः
>
> परंतु यह कि विनिर्दिष्ट अधिकारी के लिए केवल यह आवश्यक होगा कि वह उसके द्वारा परीक्षण किए गए किसी साक्षी के साक्ष्य के सार का एक ज्ञापन बनाए ।
>
> **नियम 12. पक्षकारों द्वारा अपने साक्षियों का प्रस्तुत किया जाना–** पक्षकारों का यह कर्तव्य होगा कि वे साक्ष्य के लिए नियत तारीख को अपने साक्षियों को प्रस्तुत करें, और वे अपने साक्षियों की अनुपस्थिति के लिए स्थगन के हकदार नहीं होंगे ।
>
> परंतु विनिर्दिष्ट अधिकारी, स्वविवेक से, संबंधित पक्षकार द्वारा आदेशिका फीस और खर्चों का निक्षेप कर दिए जाने पर किसी भी साक्षी को समन जारी करने के आदेश दे सकेगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **माखन लाल बंगाल (पूर्वोक्त)** प्रकरण में यह निर्धारित किया है कि निर्वाचन याचिका को एक सिविल वाद की तरह माना जाएगा जिसमें विवाद्यक निर्धारित किए जाने और साक्ष्य अभिलिखित किए जाने की आवश्यकता होती है। निर्वाचन याचिका की सुनवाई एक सिविल वाद की तरह ही होनी चाहिए, जहाँ विवाद्यक निर्धारित किए जाते हैं, साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं और याचिका के गुण–दोषों की जाँच की जाती है। प्रारंभिक स्तर में, विवाद्यक निर्धारित किए बिना या साक्ष्य अभिलिखित किए बिना याचिका को संक्षिप्त प्रक्रिया से खारिज करना, स्थापित विधिक प्रक्रिया के विपरीत है। उक्त निर्णय का सुसंगत अनुच्छेद सुलभ संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:–

> "19. निर्वाचन याचिका एक सिविल विचारण की तरह होती है। विवाद्यकों निर्धारित करने का स्तर एक महत्वपूर्ण स्तर है क्योंकि उस दिन विचारण की परिसीमा विहित किया जाता है जिस पर विचारण आगे बढ़ेगा, जिसमें कोई भी परिवर्तन और विचलन सम्मिलित नहीं है। इसलिए, विवाद्यक के निपटान हेतु

निर्धारित तिथि सुनवाई के लिए नियत तिथि है। पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवाद का अवधारण किया जाता है, संघर्ष के क्षेत्र को सीमित किया जाता है और न्यायालय द्वारा रखा गया अवतल दर्पण, पक्षकारों के अभिवचनों को दर्शाता है, उन विवाद्यकों की ओर इंगित करता है जिन पर उभयपक्ष के मध्य मतभेद हैं। सिविल वाद का सही निर्णय काफी हद तक विवाद्यकों के सही निर्धारण पर निर्भर करता है, विवाद के वास्तविक बिंदुओं को उचित तौर से निर्धारित करने पर, जिन पर निर्णय करने की आवश्यकता है। विवाद्यकों के निपटान से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 की योजना दर्शाती है कि एक विवाद्यक तब उठता है जब एक पक्ष द्वारा तथ्य या विधि के किसी महत्वपूर्ण अनुपात की पुष्टि की जाती है और दूसरे पक्ष द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। एक पक्ष द्वारा पुष्टि की गई प्रत्येक महत्वपूर्ण अनुपात और अन्य द्वारा अस्वीकृत किए गए प्रकरण एक भिन्न विवाद्यक का विषय होने चाहिए। न्यायालय पर यह दायित्व है कि वह वादपत्र/याचिका और लिखित कथन/प्रतिवाद, यदि कोई हो, को पढ़े और फिर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की सहायता से तथ्य या विधि के उन महत्वपूर्ण अनुपातों का निर्धारण करे जिन पर पक्षकारों में मतभेद है। विवाद्यक तैयार किए जाएंगे और लेखबद्ध किए जाएंगे जिन पर प्रकरण का निर्णय निर्भर करेगा। पक्षकार और उनके अधिवक्ता विवाद्यकों को तैयार करने की प्रक्रिया में न्यायालय की सहायता करने के लिए बाध्य हैं। अधिवक्ता का कर्तव्य न्यायालय पर अधिरोपित प्राथमिक दायित्व को कम नहीं करता है। पीठासीन न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह पर्याप्त रूप से अर्थपूर्ण विवाद्यक तैयार करने के लिए स्वयं प्रयत्न करे। उचित विवाद्यक को तैयार करने में लोप, मामले को पुनः विचारण के लिए प्रतिप्रेषित करने का आधार हो सकती है, बशर्ते कि यह दर्शाया गया हो कि इस लोप के फलस्वरूप प्रतिकूलता उत्पन्न हुई है। याचिका का निपटान प्रथम सुनवाई में ही किया जा सकता है यदि ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के मध्य विधि या तथ्य के किसी सारभूत प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं है और न्यायालय यथाशीघ्र निर्णय पारित करे। यदि पक्षकारों के मध्य विधि या तथ्य के कुछ प्रश्नों पर मतभेद है, तो वाद या याचिका विचारण हेतु नियत की जाएगी और पक्षकारों से तथ्य संबंधी विवाद्यकों पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का आह्वान किया जाएगा। साक्ष्य विवाद्यकों और अभिवचनों तक ही सीमित रहेंगे। विवाद्यकों और अभिवचनों के अंतर्गत न आने वाले विवादों पर कोई साक्ष्य सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पक्ष उन विवाद्यकों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करता है जिन्हें साबित करने का भार उस पर होता है। किसी विवाद्यक का उद्देश्य साक्ष्य, तर्क और निर्णय को एक विशेष प्रश्न

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

से जोड़ना है ताकि विवाद के विषय में कोई संदेह न रहे। तब निर्णय, विवाद्यक वार कार्यवाही, यह सटीक रूप से व्यक्त कर सकेगा कि विवाद का निर्णय कैसे किया गया।

9. **शाहनवाज़ अली विरुद्ध निर्वाचन अधिकरण जिला न्यायाधीश मुज़फ़्फ़रनगर व अन्य** के प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन याचिका उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 20 के अधीन नियत 30 दिवस की वैधानिक परिसीमा के भीतर थी। न्यायालय ने इस तथ्य पर बल दिया कि निर्वाचन विधियों, विशेषतः परिसीमा से संबंधित विधियों की, कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए। यद्यपि, न्यायालय ने याचिका को अमान्य करने के लिए पर्याप्त विलम्ब या प्रक्रियात्मक लोप नही पाया उक्त निर्णय का सुसंगत पैरा सुलभ संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत किया गया है:

> "10. जैसा कि उपरोक्त उल्लेखित है, धारा 20 के अनुसार, निर्वाचन याचिका, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित निर्वाचन परिणाम की तिथि के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। मैं याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से आश्वस्त हूँ कि निर्वाचन विधि की व्याख्या, विशेषतः, निर्वाचन याचिका पर विचार करने के प्रयोजनार्थ विहित परिसीमा के संबंध में, कठोरता से की जानी चाहिए क्योंकि परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, परिसीमा अधिनियम की धारा 12(2) को छोड़कर, जैसा कि अधिनियम, 1916 की धारा 23 के प्रावधान के अधीन प्रतिपादित किया गया है। इसलिए, "30 दिवस के भीतर" वाक्यांश सुसंगत है जो उस तिथि से प्रारंभ होता है जब परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित किया जाता है। यह दोनों पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया जाता है, और यह भी अभिलेख में दर्ज है कि नगर पालिका परिषद, खतौली के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन परिणाम दिनांक 13–5–2023 था, इसलिए, उत्तरवादी 2 के लिए निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की परिसीमा 12–6–2023 तक थी। यद्यपि, किसी भी विलम्ब से बचने के आशय से, उत्तरवादी 2 ने 9–6–2023 को निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की है। जून माह में ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण, उत्तरवादी 2 ने अवकाश अवधि के दौरान निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए नियम, 1957 के नियम 13 के अधीन एक आवेदन के साथ निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की है। निर्वाचित अभ्यर्थी की ओर से किए गए विरोध के कारण, निर्वाचन अधिकरण ने निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। तत्पश्चात, उत्तरवादी 2 द्वारा दिनांक 1–7–2023 को दूसरा प्रयत्न किया गया, यद्यपि, पुनः याचिकाकर्ता की उपस्थिति के अभाव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में स्वीकृति नहीं दी गई और अंततः, दिनांक 3–7–2023 के आक्षेपित आदेश द्वारा, निर्वाचन याचिका स्वीकार कर ली गई और उसे पंजीबद्ध करने का आदेश दिया गया।

13. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिवस के भीतर निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था, यद्यपि, इसे दिनांक 3–7–2023 के आक्षेपित आदेश के अनुपालन में दिनांक 4–7–2023 को पंजीबद्ध करवा लिया गया है। अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सुमित्रा देवी विरुद्ध विशेष न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश[1] में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय का अवलंब लिया है। उद्धृत निर्णय में, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन की धारा 12–ग के अधीन निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के प्रावधान पंचायत राज अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "अधिनियम, 1947") की इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत प्रश्न के संबंध में परीक्षण किया गया है, जो नीचे उद्धृत हैं: "1. क्या निर्वाचन याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करना अधिनियम, 1947 की धारा 12 ग(1) की उप–धारा (3) और नियम, 1994 के नियम 3(1) के दृष्टिगत एक अनिवार्य आवश्यकता है और क्या इसका अनुपालन न करना घातक है या यह केवल एक अनुचित प्रस्तुति, एक सुधार योग्य दोष होगा? 2. क्या वीरेश कुमार तिवारी के प्रकरण[11] में इस न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय ने क्रम संख्या 1 में प्रस्तुत प्रश्न के संबंध में विधि को उचित रुप से प्रतिपादित किया है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इस संक्षिप्त विवरण में, जैसा कि उपरोक्त दर्शाया गया है, मेरे सुविचारित अभिमत में, उत्तरवादी 2 ने निर्वाचन याचिका अधिनियम, 1916 की धारा 20 के अधीन विहित परिसीमा के भीतर ही प्रस्तुत की है। अधिनियम, 1916 की धारा 22 के तहत इसे रद्द करने के लिए निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने में कोई स्पष्ट विलम्ब नहीं हुआ है, जो दर्शाता है कि अधिनियम, 1916 की धारा 20 के अधीन प्रावधानों का अनुपालन न करने पर निर्वाचन याचिका को अस्वीकार कर दिया जाएगा। विद्वान निर्वाचन अधिकरण द्वारा दिए गए निष्कर्ष को रिट याचिका में विशेषतः अस्वीकार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए शेष बिंदु अभी भी निर्वाचन अधिकरण के समक्ष उठाए जा सकते हैं। इस रिट याचिका पर विचार करने और विद्वान जिला न्यायाधीश (निर्वाचन अधिकरण) द्वारा पारित दिनांक 3–7–2023 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं है, जिसकी पुष्टि एतद्द्वारा की जाती है।

चुनौती के अधीन आदेश में कोई अवैधता, विकृति या अनियमितता नहीं है जिससे इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करने में सहभागिता का अधिकार प्राप्त हो। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह प्रदर्शित करे कि वर्तमान याचिकाकर्ता किस प्रकार पूर्वाग्रह से ग्रसित है,या चुनौती के अधीन आदेश के कारण याचिकाकर्ता के साथ न्याय के निष्फल होने की कोई संभावना है।

10. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्कों और विधि के सुसंगत प्रावधानों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरांत, इस न्यायालय का यह अभिमत है कि विधि स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करता है कि निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की परिसीमा, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 122 और छत्तीसगढ़ पंचायत (निर्वाचन याचिकाएँ, भ्रष्टाचार और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995 के अनुसार, निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से प्रारंभ होती है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को अस्वीकार करना निर्वाचन प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती स्तर है और निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की परिसीमा के प्रारंभ को प्रभावित नहीं करता है। याचिका प्रस्तुत करने के लिए वैधानिक परिसीमा 30 दिवस की है इसलिए निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि (18.02.2025) से गणना की जानी चाहिए, न कि आपत्ति की अस्वीकृति की तिथि (04.02.2025) से। अतः यह न्यायालय पाता है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा याचिका को केवल परिसीमा की अनुचित व्याख्या के आधार पर, प्रारंभिक स्तर में ही खारिज करना, संधारणीय नहीं है। उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, यह न्यायालय इस विचार पर है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा दिनांक 15.04.2025 को पारित आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं यह अपास्त किया जाने के योग्य है। याचिकाकर्ता अपनी निर्वाचन याचिका के गुण–दोष के आधार पर निष्पक्ष निर्णय का हकदार है, और उत्तरवादी क्रमांक 2 को विवाद्यक निर्धारित करने और साक्ष्य अभिलिखित करने सहित विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए। परिसीमा के आधार पर याचिका को खारिज करना, विधि की अनुचित व्याख्या के आधार पर, त्रुटिपूर्ण था।

11. उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित दिनांक 15.04.2025 (अनुलग्नक P/1) का आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अभिखण्डित किया जाता है। यह प्रकरण उत्तरवादी क्रमांक 2 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन याचिका पर नए सिरे से विचार करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उत्तरवादी क्रमांक 2 को निर्देशित किया जाता है कि वह विवाद्यक निर्धारित करे और साथ–साथ छत्तीसगढ़ पंचायत (निर्वाचन याचिकाएँ, भ्रष्टाचार और सदस्यता के लिए निरर्हता) नियम, 1995 के अनुसार विधि सम्मत विचारण प्रारंभ करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. संबंधित अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)–उत्तरवादी क्रमांक 2, निर्वाचन अधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण की पुनः सुनवाई करे, साथ ही उत्तरवादीगण को सूचना जारी करे और विचारण को एक निर्धारित अवधि के भीतर विधि सम्मत पूर्ण करे।

13. तदनुसार, उपरोक्त निर्देश एवं अवलोकन सहित, रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है।

सही/–

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur